


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र०अ० (मा०वि०) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आशवासित केरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्रीमती शारदा शर्मा से०नि० प्रधानाचार्य, राउमावि, कारेण्डा तिजारा (अलवरे)	27.06.59	24.02.97 प्र०अ०	23.02.17 20 वर्ष	24.02.17 द्वितीय	15600-39100 6800/-
02	श्री उगमसिंह भाटी से०नि० प्रधानाचार्य, राउमावि, पांचे का तला (जैसलमेर)	10.02.62	02.02.98 व्याख्याता	01.02.18 20 वर्ष	02.02.18 द्वितीय	पीएमएल-17


उक्त प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। क्रम सं. 1 को पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 में द्वितीय एसीपी (संशोधित) में पे-मैट्रिक लेवल - 17 दिनांक 24.02.17 से देय होगी। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।


(निथमल डिडेले)
आईएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

क्रम:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पांली/2019/68
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं० स०
- 3- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 5- रक्षित पत्रावली।

दिनांक: 27/9/19


संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।